

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री बृजमोहन बैरवा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-51/2017 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

अनवान

राज्य सरकार जरिये श्रीराम मिश्रा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री ख्यालीलाल पिता सोहनलाल माली (मालिक एवं विक्रेता)
मै0 हल्दीघाटी परफ्यूम होम शाही बाग हल्दीघाटी रोड खमनौर

- विपक्षी

अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

0 निर्णय 0

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए /नोटिफिकेशन / 2011 /727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण में श्रीराम मिश्रा ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार की ओर से पक्षकार है। विपक्षी पर मिसब्राण्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि विपक्षी श्री ख्यालीलाल पिता सोहनलाल माली (मालिक एवं विक्रेता) मै0 हल्दीघाटी परफ्यूम होम शाही बाग हल्दीघाटी रोड खमनौर जो कि शरबत (Synthetic Syrup) का लेबल लगाकर आम जनता को बेचने का कार्य करते है । श्री माली की दूकान पर दिनांक 12.03.2017 को समय 13.30 पी0एम0 पर वास्ते चेकिंग मै0 हल्दीघाटी परफ्यूम होम शाही बाग हल्दीघाटी रोड खमनौर पर पहुंचा। खाद्य कारोबारकर्ता विपक्षी से खाद्य पदार्थ विक्रय का रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा गया, जिस पर विपक्षी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना बताया । खाद्य पदार्थ विक्रय की दूकान पर एक लकड़ी रेक्स में डिसप्ले कर के शरबत (Synthetic Syrup) की 20 सील्ड प्लास्टिक की बॉटल्स प्रत्येक 1 लीटर आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें मिलावट का शक होने पर शरबत (Synthetic Syrup) के 4 सील्ड बॉटल्स प्रत्येक 1 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदकर उसकी कीमत 600/-रूपये विक्रेता को अदा कर रसीद प्राप्त की गई । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ शरबत (Synthetic Syrup) के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5ए पर दी।

प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा शरबत (Synthetic Syrup) को मोतबिरान व विपक्षी की उपस्थिति में चार 4 नमूना भाग बनाए एवं एक जैसे चार लेबल तैयार कर चारों नमूना सील्ड बॉटल्स पर अलग अलग चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर ए.एफ 656 एवं नमूने का विवरण अंकित किया गया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवे विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये एवे चारो नमूना भागो को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग को सील चपड़ी किया गया। सील्ड नमूनों को अपने कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना भाग मय फार्म न. 6 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद



38

भागो को मय फार्म न.6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक परि./एफएसएसए/2016/998 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा खाद्य विश्लेषक उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/152/एक्ट/ 2016 /121 दिनांक 21.03.2017 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य शरबत (Synthetic Syrup) मिस ब्राण्ड, पाया गया व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।


कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को विपक्षी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया गया। विपक्षी द्वारा अवगत कराया कि मेरे द्वारा शरबत (Synthetic Syrup) में कोई मिलावट नहीं की है। मुझे उक्त अधिनियम की जानकारी नहीं लेने से जुर्म स्वीकार किया गया। विपक्षी द्वारा जुर्म स्वीकार कर लेने के कारण गवाहान इत्यादि को बुलाया जाना उचित नहीं समझा गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी द्वारा शरबत (Synthetic Syrup) मिसब्राण्ड होने संबंधी अपना जुर्म स्वीकार किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006, नियम-2011 की धारा 26 (II) का उपयोग करते हुए उक्त केस में मिसब्राण्ड शरबत (Synthetic Syrup) में मिलावट कर विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से विपक्षी को कुल 2,000 / - रुपये (अक्षरे रूपया दो हजार) मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी, एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक से एक माह के भीतर आवश्यक रूप से जमा करा रसीद प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(बृजमोहन बैरवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द